प्रकरण सं. 322/2025 योगेश बनाम आतेल

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
5/12/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 11 बाद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 11 को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई। समय 5.50 PM हो चुका है अप्रार्थी सं. 1 लगा. 11 को ऽपापाटे मैं पुन: आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 11 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 12/1/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 5/12/25	
12/1/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि कुल किता 27 कुल रकबा 7.0931 हे. भूमि में 1/16 हिस्से का खातेदार है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज एक तिहाईनुसार विभाजन कराना चाहता है, विपक्षीगण मौके पर विभाजितकृत हिस्से का बेचान दीगर व्यक्तियों को करने पर आमादा है जिसे रोका जाना आवश्यक है अन्यथा नवीन वाद-विवाद उत्पन्न होंगे तथा विपक्षीगण मौके पर अविभाजित भूमि में विशाटीकृत हिस्से पर निर्माण करने पर आमादा है। अत: वादग्रस्त भूमि का मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किये जाने का आदेश जारी किया जावे तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावे। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सम्बन्धित	

— लगातार —

(हस्ताक्षर) 12/1/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

1003 एक हजार तीन — 0.3035 हैक्टेयर
1004 एक हजार चार — 0.0253 हैक्टेयर

India Post

प्रकरण सं. 322/2025 योगेश बनाम आबिल

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहलकार को जो हुक्म की तामील के जारी हुए
12/1/26	विधि का अनुशीलन किया गया। प्रकरण में ग्राम पुर की वादग्रस्त भूमि 1003, 1004, 1010, 1013, 1014, 1056, 1057, 1110, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1126, 1130, 2309, 2795, 2808, 3001, 3002, 3005, 3007, 9109/2800 कुल किता 27 कुल रकबा 7.0937 है. भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगा. 11 की सहखातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/16 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर प्रार्थी का सहखातेदार होना प्रमाणित है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्सेनुसार विभाजन करना चाहा गया है तथा न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का नवीन वाद विवाद उत्पन्न होने से रोके। अतएव **आदेश** ग्राम पुर की वादग्रस्त भूमि आराजी नं. 1003, 1004, 1010, 1013, 1014, 1056, 1057, 1110, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1126, 1130, 2309, 2795, 2808, 3001, 3002, 3005, 3007, 9109/2800 कुल किता 27 कुल रकबा 7.0937 है. भूमि पर उभयपक्षकारान को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है और मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान द्वारा वादग्रस्त भूमि में विशिष्टीकृत हिस्से/भू-भाग का (बेचान, बैय, रहन/गिफ्ट, दान) अन्तरण नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है। उक्त स्थगन आदेश राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार की मृत्यु होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार विधिक नामान्तरण पर प्रभावी नहीं होगा। निर्णय मेरे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो। 12/1/26 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	